(क) परिवादी का विवरण

1. नाम

2. लिंग ☐ पुरुष ☐ स्त्री 3. सम्पर्क/मोबाइल नंबर

4. पता

5. जिला राज्य पिन-कोड

(ख) घटना का विवरण

1. घटना-स्थल
(गाँव/शहर/नगर)

2. जिला राज्य घटना की तिथि

(ग) पीड़ित का विवरण

1. नाम पीड़ितों की संख्या

2. पता

3. जिला राज्य पिन-कोड

4. धर्म (हिन्दू/मुसलमान/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/अन्य)

5. जाति ☐ अनु. जाति ☐ अनु. जनजाति ☐ अत्यंत पिछड़ा ☐ सामान्य

6. लिंग ☐ पुरुष ☐ स्त्री 7. उम्र वर्ष 8. निःशक्त ☐ हाँ ☐ नहीं

(घ) तथ्य आरोप - मानव अधिकार उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण

(ड़) क्या यह सशस्त्र सेना/अर्द्धसैनिक बल के विरूद्ध शिकायत है? ☐ हाँ ☐ नहीं

(च) क्या परिवाद से संबिधित शिकायत किसी न्यायालय/राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/अन्य आयोग में किया गया है? अगर **हाँ**, तो विवरणी -

(छ) सरकारी कर्मी/पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम जिनके विरूद्ध शिकायत है -

(ज) उस अधिकारी/सरकारी विभाग का नाम एवं पता जिसके प्रति उक्त सरकारी कर्मी/पदाधिकारी उत्तरदायी है -

(झ) वांछित सहायता/प्रार्थना, यदि हो तो -

बिहार मानवाधिकार आयोग में शिकायत दायर करने हेतु मार्ग दर्शिका

1. आयोग में शिकायत पीड़ित या उनके स्थान पर किसी दूसरे के द्वारा दायर की जा सकती है।
2. शिकायत हिन्दी/अंग्रेजी या संविधान के अष्टम् सूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में सिर्फ एक प्रति में दर्ज की जा सकती है।
3. शिकायत डाक द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग के पते पर, फैक्स से दूरभाष संख्या (0612)-**2232280** पर अथवा ई-मेल द्वारा **sec-bhrc@nic.in** पते पर भेजी जा सकती है।
4. शिकायत दायर करने के लिए कोई फीस देय नहीं है।
5. परिवादी सरकारी पदाधिकारी/कर्मी द्वारा मानवाधिकार - (क) उल्लंघन/हनन (ख) उल्लंघन को रोकने हेतु बरती गई असावधानी को उजागर करेंगे।
6. आयोग का कार्य-क्षेत्र मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में एक वर्ष के अंदर दायर परिवाद तक सीमित है।
7. आरोप के संपुष्टि हेतु संलग्न कागजात स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए।
8. पीड़ित/पीड़िता के उम्र, लिंग, धर्म, जाति, राज्य एवं जिला तथा घटना की तिथि का वर्णन शिकायत-पत्र में होना आवश्यक है।
9. निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त परिवाद उसके शिघ्र निष्पादन में आयोग के लिए सहायक होता है।
10. निम्न प्रकार की शिकायतें सामान्यतः पोषण योग्य नहीं होतीं - (क) अपठनीय (ख) अस्पष्ट, अज्ञात, छद्मनामी (ग) मामूली या अगंभीर प्रकृति का (घ) मामला जो अन्य राज्य के मानवाधिकार आयोग/अन्य आयोग में लंबित हो (ड़) मानवाधिकार हनन की घटना के एक वर्ष बाद आयोग के संज्ञान में लाया गया हो (च) किसी सरकारी पदाधिकारी के विरूद्ध अगर आरोप नहीं हों (छ) सेवा संबंधी मामले अथवा श्रम/उद्योग से संबंधित विवाद (ज) आरोप अगर मानवाधिकार उल्लंघन के विशिष्टिकरण का न हो (झ) मामला न्यायालय/ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हो (ञ) मामला न्यायादेश/आयोग के निर्णय से आच्छादित हो।
11. निर्धारित प्रपत्र का उपयोग परिवादी को यथासंभव प्रोत्साहित किए जाने हेतु है एवं निर्देश, सूचना की विविधता दर्शाता है जो परिवाद की प्रक्रिया प्रशस्त करेगा।
12. संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर ही कार्रवाई आरम्भ हो सकती है।